



2026:AHC:60957

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 331/2026 और 2 संबंधित मामले

अमर सिंह चौहान

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : कुमार आशुतोष श्रीवास्तव, रितेश कुमार
श्रीवास्तव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति हरवीर सिंह

1. एक ही मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित उपरोक्त तीनों जमानत याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जा रही है और एक ही आदेश द्वारा इनका निर्णय किया जाएगा।
2. हमने अभियुक्त-आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए0जी0ए0 की बात सुनी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. ये जमानत याचिकाएं आरोपी-आवेदकों/ अमर सिंह चौहान, विजय सिंह चौहान और आशुतोष तिवारी की ओर से जमानत के लिए दायर की गई हैं, मुकदमा अपराध संख्या 435/2025 में, धारा 115(2), 118(1), 118(2), 109, 352, 241 और 3(5) बी0एन0एस0 के तहत, पुलिस स्टेशन रावतपुर, जिला कानपुर नगर, मुकदमे की सुनवाई के दौरान।

4. अभियुक्त-आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत याचिका पर जोर देते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त-आवेदकों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि तीनों आरोपियों को अलग-अलग भूमिकाएँ सौंपी गई हैं। घायल व्यक्ति को दिखाई गई चोटें इस प्रकार की नहीं हैं जिनसे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो। आगे यह भी बताया गया है कि घायल व्यक्ति को 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था, अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आरोपी-आवेदक इस मामले में 26.10.2025 से जेल में बंद हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी-आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद कानून की प्रक्रिया से भाग जाएंगे या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे।

5. माननीय ए0जी0ए0 ने आवेदकों की जमानत याचिका का विरोध किया है और बताया है कि घायल अभिजीत सिंह की उंगली आवेदक अमर सिंह चौहान द्वारा काटी गई थी, जो कथित तौर पर मेडिकल स्टोर के मालिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमर सिंह चौहान के दो मामलों का आपराधिक इतिहास भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यह अपराध आवेदकों द्वारा सामान्य इरादे से किया गया है, इसलिए, आवेदक जमानत के हकदार नहीं हैं।

6. दोनों पक्षों के तर्कों और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि घायल व्यक्ति की उंगली आवेदक अमर सिंह चौहान के कहने पर कटी थी, जिसका तीन आपराधिक मामलों का इतिहास है। अभियुक्त आवेदक अमर सिंह चौहान की भूमिका अन्य अभियुक्त आवेदकों से अलग है,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिन्हें धारदार हथियार से घायल व्यक्ति की उंगली काटने की विशेष भूमिका सौंपी गई है। इस मामले में आरोपी-आवेदक 26.10.2025 से जेल में बंद हैं।

7. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक विजय सिंह चौहान और आशुतोष तिवारी जमानत के लिए पात्र हैं। विजय सिंह चौहान और आशुतोष तिवारी की जमानत याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

8. उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदकों विजय सिंह चौहान और आशुतोष तिवारी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती सहित व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. अमर सिंह चौहान की जमानत याचिका के संबंध में, आरोपी आवेदक की भूमिका अन्य आरोपी आवेदकों से अलग है, जिन पर घायल व्यक्ति की उंगली को धारदार हथियार से काटने की विशेष भूमिका सौंपी गई है। जमानत के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

11. इसलिए, अमर सिंह चौहान की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(हरवीर सिंह, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"